न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 123/2017 **दायरा दिनांक : 26.01.2017**

उनवान

कुशवाह पंचायत ग्राम दीगोदपार जरिये अध्यक्ष एवं समिति कुशवाह पंचायत ग्राम दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1— शांतीलाल उम्र 41 वर्ष पुत्र रूपनारायण अध्यक्ष, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— रामचन्द्र उम्र 35 वर्ष पुत्र रामगोपाल, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— महेन्द्र उम्र 36 वर्ष पुत्र चतुर्भुज, मंत्री, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4— हीरालाल उम्र 45 वर्ष पुत्र रामकुंवार, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5— महेन्द्र उम्र 32 वर्ष पुत्र छगनलाल, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6— गिर्राज उम्र 33 वर्ष पुत्र छगनलाल, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

7— राजेन्द्र उम्र 35 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

8— महावीर उम्र 34 वर्ष पुत्र जानकीलाल, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

9— लटूरलाल उम्र 53 वर्ष पुत्र अमरलाल, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

10– सत्यनारायण उम्र 43 वर्ष पुत्र चतुर्भुज, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

11– पुरूषोत्तम उम्र 31 वर्ष पुत्र माधोलाल, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

12– कालूलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र उदा जी सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

13– नन्दकिशोर उम्र 45 वर्ष पुत्र पन्नालाल, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

14– धनराज उम्र 43 वर्ष पुत्र बद्रीलाल, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

15– केसरीलाल उम्र 43 वर्ष पुत्र अमरलाल, सदस्य, जाति कुशवाह, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– मांगीलाल मृतक पुत्र रामचन्द्र, जाति काछी, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां कायम मुकामान :–

1/1– हीरालाल पुत्र मांगी लाल, जाति काछी, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/2– कैलाश बाई बेवा मांगी लाल, जाति काछी, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/3– नन्दकंवरी पुत्री मांगीलाल, जाति काछी, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/4– पुष्पाबाई पुत्री मांगी लाल, जाति काछी, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

1/5– गोरधनी बाई पुत्री मांगीलाल, जाति काछी, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– छोटूलाल पुत्र रामचन्द्र, जाति काछी, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– मूल्या पुत्र मनिराम, जाति काछी, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4– भैरू पुत्र मनिराम, जाति काछी, निवासी दीगोदपार, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री आलोक गोयल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 69/2012 निर्णय दिनांक 10.04.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दीगोदपार, तहसील किशनगंज में खतौनी संख्या नयी 319 पुरानी 311 की खसरा नम्बर 1007 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित है जो वादग्रस्त आराजी है इस आराजी के मूल खातेदार औंकारी बाई थी । औंकारी बाई द्वारा दिनांक 04.05.85 को एक वसीयतनामा कुशवाह पंचायत के पक्ष में निष्पादित किया और इसका कब्जा कुशवाह पंचायत को संभला दिया । तब से इस पर

कब्जा कुशवाह पंचायत का है । वसीयत के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । अप्रार्थीगण ने इंतकाल नम्बर 564 अपने नाम खुलवा लिया है जो कि अवैध है । अप्रार्थीगण औंकारी बाई के वारिस नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रार्थीगण का है । अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया कि वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द न करें । राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे और आराजी रिसीवर को संभलायी जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपने निर्णय दिनांक 10.04.2017 से खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार किया है । निर्णय विधि विरूद्ध है । दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना विधि सम्मत रूप से नहीं की है । औंकारी बाई ला औलाद फौत हुई थी उनके द्वारा सम्पूर्ण आराजी में से खसरा नम्बर 1007 की 9 बीघा आराजी अपीलांट के पक्ष में वसीयत की थी और कब्जा संभलाया था और उनकी वसीयत के अनुसार ही आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा है । इंतकाल अवैध है । आराजी पर अपीलांट वसीयत के दिनांक से काबिज काश्त है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.05.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि औंकारी बाई वादग्रस्त आराजी की खातेदार थी जो ला औलाद फौत हुई है । उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपीलांट के पक्ष में वसीयत किया था और कब्जा संभलाया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि पंचायत पंजीबद्ध नहीं है । 21 सदस्य होने आवश्यक होते हैं जो नहीं है । इंतकाल संख्या 564 सन् 1988 में खोला गया है जिसकी अपील नहीं की गई है । दान पंजीकृत नहीं है । पंजीकृत दस्तावेज के अभाव में अपीलांट को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2066–69 सलंग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी के साथ कुछ अन्य आराजियात मिलाकर कुल 6 किता की 21 बीघा 6 बिस्वा आराजी अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नामान्तरकरण

संख्या 564 के अनुसार औंकारी बाई के स्थान पर अप्रार्थीगण का नाम दर्ज हुई है ।

पत्रावली पर एक वसीयतनामे की फोटो प्रति सलंग्न है जिसमें यह अंकित है कि मैं अपनी आराजी जो 9 बीघा है वह सप्रेम कुशवाह पंचायत ग्राम दीगोदपार को सप्रेम भेट कर रही हूं । इस प्रकार इस तहरीर में जो अंकित किया गया है उसके अनुसार यह वसीयत न होकर दान पत्र की श्रेणी में आता है और दान पत्र का पंजीबद्ध होना आवश्यक है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज पर तहरीर की फोटो पति के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट प्रार्थीगण के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । रेस्पोडेंटगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा